प्रकाशन संख्या 722

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 710

पथ निर्माण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) वर्ष 2013–14 (सा.सा. एवं आ.प्र.) की कंडिका 3.13 पर प्रतिवेदन ।

(दिनांक 28 FEB 2024 ई० को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, वित्त विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारीगण ।	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1-4
5. परिशिष्ट	5-6

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

गठन वर्ष 2022—24 (सप्तदश बिहार विधान सभा)

सभापति	
1. श्री तारकिशोर प्रसाद	स०वि०स०
सदस्यगण	
1. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	स०वि०स०
2. श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०
3. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	स०वि०स०
4. श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
5. डॉ० रामानुज प्रसाद	स०वि०स०
6. श्री महबूब आलम	स०वि०स०
7. श्री गुंजेश्वर साह	स०वि०स०
8. श्री विजय कुमार खेमका	स०वि०स०
9. श्री चन्द्रहास चौपाल	स०वि०स०
10. श्री अजय कुमार सिंह	स०वि०स०
11. श्री राज कुमार सिंह	स०वि०स०
12. श्री राकेश कुमार रौशन	स०वि०स०
13. श्री देवेश कुमार	स०वि०प०
14. श्री सर्वेश कुमार	स०वि०प०
15. डॉ० कुमुद वर्मा	स०वि०प०
16. डॉ० सुनिल कुमार सिंह	स०वि०प०

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्री संजय कुमार	अवर-सचिव
4. श्री राम कुमार यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री अरविन्द कुमार दास	सहायक
6. श्री अमित कुमार झा	सहायक
7. सुश्री कंचन कुमारी	सहायक
8. श्री बिट्टू शर्मा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय

1. श्री राज कुमार	प्रधान महालेखाकार
2. श्री विशाल बंसल	महालेखाकार (ले०प०)
3. श्री शिव शंकर	उप-महालेखाकार
4. श्री कुन्दन कुमार	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी
5. श्री श्याम दत्त मिश्रा	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
6. श्री ललित शंकर मिश्र	पर्यवेक्षक
7. श्री प्रभुदत्त पाठक	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

1. श्री अरविन्द कुमार चौधरी	प्रधान सचिव
2. श्री ओम प्रकाश झा	बजट सलाहकार

पथ निर्माण विभाग

1. श्री प्रत्यय अमृत	अपर मुख्य सचिव
2. श्री संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी	सचिव
3. श्री सोहैल अख्तर	अभियंता प्रमुख

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र की पथ विभाग से संबंधित कंडिका 3.13 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 710 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक .... को मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने समिति के कार्यों तथा प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में जो सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है, उनका मैं समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

पटना :

दिनांक .... (ई०)।

तारकिशोर प्रसाद,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र) की कंडिका संख्या 3.13 (पृष्ठ संख्या 120 एवं 121)

निष्क्रिय संयंत्र एवं उपकरण पर निष्फल व्यय

उपयोगिता को सुनिश्चित किये बिना विभाग द्वारा संयत्रों और उपकरणों की खरीद के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण निष्क्रिय संयंत्रों पर 1.34 करोड़ राशि का निष्फल व्यय हुआ ।

राज्य में सड़कों की लम्बाई की तुलना में तप्त मिश्रण संयत्रों (त०मि०सं०) की कम संख्या[36] तथा सड़कों के किनारों की ऊँचाई से जल-जमाव में बढ़ोतरी के कारण सड़क की आयु बढ़ाने के लिये किनारों का कटाव तथा ड्रेसिंग की आवश्यकता के मद्देनजर पथ निर्माण विभाग (प०नि०वि०) के योजना प्राधिकरण[37] समिति द्वारा दो त०मि०सं० तथा दो वेट मिक्स मैकाडम प्लांट (वे०मि०मै०प्लां०) के क्रय हेतु रु०10.84 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (अक्टूबर, 2006) की गयी।

राष्ट्रीय उच्च पथ (यांत्रिकी) योजना प्रमंडल, शेखपुरा, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित (नवम्बर, 2013) हुआ कि मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), प०नि०वि०, बिहार, पटना द्वारा त०मि०सं० और वे०मि०मै०प्लां० दोनों का आपूर्ति आदेश (जुलाई, 2008 और मार्च, 2007) दिया गया ।

संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुये :--

- बाटा मोड़, मोकामा में अवस्थित रु०39 लाख की लागत से खरीदा (अगस्त, 2008), गया त०मि०सं० प्रमंडल में कार्य/सामाग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिष्ठापित नहीं किया जा सका था। इसलिये संयंत्र को कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिकी प्रमंडल, प०नि०वि०, भागलपुर को मार्च, 2013 में स्थानांतरित कर दिया गया तथा जून, 2014 में इसे अधिष्ठापित किया गया ।

---

36 कुल संख्या 13(10 राज्य स्वामित्व के अधीन तथा तीन केन्द्र-स्वामित्व के अधीन)।

37 आयुक्त-सह-सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार; अतिरिक्त वित्त आयुक्त, बिहार, सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार; विकास आयुक्त, बिहार से निर्मित ।

हालांकि, त०मि०सं० की गारंटी सीमा समाप्त (फरवरी, 2010) हो गयी थी तथा संयंत्र पूर्ण रूपेण छः वर्षों तक निष्क्रिय पड़ा रहा ।

- त०मि०सं०, का अधिष्ठापन गायघाट, पटना में जून 2009 में हुआ । एजेंसी को कुल रु०39 लाख की पूर्ण राशि का भुगतान (दिसम्बर, 2008) कर दिया गया था। हालांकि, वर्ष 2009/13 के दौरान इसकी उपयोगिता उसकी पूरी क्षमता का (एक साल में 55000 मे०टन) 0.68 प्रतिशत (2009-10) से 23 प्रतिशत (सितम्बर, 2013) तक विस्तारित थी। इसके अलावा, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (बि०रा०प्र०नि०प०) द्वारा निर्धारित नि:सरण मानक का अनुपालन नहीं होने के कारण बि०रा०प्र०नि०प० द्वारा त०मि०सं० के परिचालन को रोक (सितम्बर, 2013) दिया गया ।

- प्रमंडल में कार्य/सामग्री की अनुपलब्धता के कारण अक्टूबर, 2008 में बिना लोड टेस्ट के वे०मि०मै०प्लां०, गायघाट की अधिष्ठापना की गयी और वह तभी से निष्क्रिय पड़ा रहा। इसकी भी गारंटी अवधि समाप्त (अक्टूबर, 2009) हो गयी थी और अगस्त, 2012 में एजेंसी को रु०27.82 लाख का पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

- मार्च, 2010 में बिना लोड टेस्ट के बैजनाथपुर, सहरसा अवस्थित वे०मि०मै०प्लां०, अधिष्ठापन किया गया और प्रमंडल में कार्य की अनुपलब्धता के कारण यह तब से निष्क्रिय पड़ा रहा। अगस्त, 2012 में एजेंसी को भी रु०27.82 लाख की राशि का कुल भुगतान कर दिया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, प०नि०वि०, बिहार ने जवाब में कहा (नवम्बर, 2013 कि आवश्यकता पूर्ति हेतु उपकरण की खरीद की गयी थी और उन्हें अधिष्ठापित करने का अंतिम निर्णय विभाग द्वारा लिया गया। आगे कहा गया कि (नवम्बर, 2014) संवेदक के पास अपना खुद का संयंत्र रहने के कारण विभागीय संयंत्रों का उपयोग मानक क्षमता के अनुरूप नहीं किया जा सका। अब इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

इस प्रकार त०मि०सं०/वे०मि०मै०प्लां० का क्रय संयंत्रों की कमी को पूरा करने और पथों की आयु बढ़ाने के लिये किया गया था, जो छः सालों तक निष्क्रिय/ अनुपयोगिता पड़ा रहा । मशीनों के उपयोग को सुनिश्चित किये बगैर योजना प्राधिकरण समिति द्वारा अविवेकपूर्ण निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप रु०1.34 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ ।

विभागीय उत्तर

इस संयंत्र को वित्तीय वर्ष 2009-10 में अधिष्ठापित किया गया था। 2009-10 से लेकर 2013-14 तक इस संयंत्र के द्वारा असैनिक प्रमण्डलों द्वारा आवंटित कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया। वर्ष 2013 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पत्रांक T 16060, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 द्वारा ECO (Emmision Consent Order) को Revoke करने तथा Plant संयंत्र संचालन को बंद करने का दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 25 सितम्बर, 2013 से संयंत्र का संचालन बंद कर दिया गया था। तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष प०नि०वि०, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07 जुलाई, 2017 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में इस तप्त मिश्रण संयंत्र को (मार्च, 2018) वित्तीय वर्ष 2017-18 में पथ प्रमण्डल, बेगूसराय के अन्तर्गत बरौनी में स्थानांतरित कर अधिष्ठापित किया गया ।

WMP गायघाट संयंत्र को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष प०नि०वि०, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07 जुलाई, 2017 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में इस संयंत्र को वित्तीय वर्ष 2017-18 में तप्त मिश्रण संयंत्र स्थल, हाजीपुर में अधिष्ठापित किया गया। वर्ष 2019 में स्थापना के पश्चात् असैनिक कार्य प्रमण्डलों द्वारा कोई कार्य आवंटित नहीं होने के कारण प्लांट का संचालन सम्भव नहीं हो सका है।

दिनांक 07 फरवरी, 2012 को स्थापित किया गया किन्तु कार्य आवंटन के अभाव में अभीतक कोई कार्य नहीं किया जा सका।

TPH HOT MIX PLAN का वर्षवार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 4 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट या प्लांट जिसमें सरकारी राशि लगी हो उसकी अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल आप नियमित रूप से करें जिससे जनता की राशि का अनावश्यक दुरूपयोग नहीं हो। ए०जी० और वित्त विभाग की सहमति से समिति कंडिका संख्या 3.13 को विलोपित करने का निर्णय लेती है।

पटना :

दिनांक .... (ई०)।

तारकिशोर प्रसाद,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

60/90 TPH हॉट मिक्स प्लांट (HMP) एवं वेट मिक्स प्लांट (WMP) का वर्षवार प्रगति प्रतिवेदन--

यांत्रिक प्रमंडल का नाम/यांत्रिक प्रमंडल प०नि०वि०, भागलपुर

क्रमांक	HMP/WMP स्थल	वित्तीय वर्ष	वार्षिक आउटपुट	वार्षिक अर्जित हायर चार्ज ।	अभियुक्ति
1	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2012-13	Transportation, Erection & Commissioning Work After Shifting from Bata More, Mokama to Barari, Bhagalpur		
2	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2013-14			
3	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2014-15	175.26 MT	17040	Low output due to insufficient volume of allotment of Bituminous work
4	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2015-16	2167.29 MT	165075	Low output due to insufficient volume of allotment of Bituminous work
5	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2016-17	10758.50 MT	889578	Low output due to insufficient volume of allotment of Bituminous work
6	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2017-18	8367.975 MT	711453	Low output due to insufficient volume of allotment of Bituminous work
7	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2018-19	NIL	NIL	No work allotted
8	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2019-20	2325 MT	172440	Low output due to insufficient volume of allotment of Bituminous work
9	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2020-21	28772.16 MT	1292011	Rs 485558 Yet to deposited after getting allotment.
10	Speed Craft Hot Mix Plant 60-90 TPH HMP Site Barari, Bhagalpur	2021-22 Upto Aug-21	1898.49 MT	153763	

Executive Engineer (M),

Mechanical Division,

R.C.D. Bhagalpur.

परिशिष्ट

पत्रांक प्र०-6/प्रारूप कंडिका 02/2014-7392(S)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन) का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

प्रेषक

सोहैल अख्तर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में

निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 24 नवम्बर, 2023 (ई०)।

विषय- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 710 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग- भवदीय का पत्रांक 1089/वि०स०, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 710 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर मूल प्रति वापस की जा रही है।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
सोहैल अख्तर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

पत्र सं० 2लो०ले०स०/24/23--1089 वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

असीम कुमार,

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द, पटेल पथ, पटना ।

अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 7 नवम्बर, 2023 (ई०)।

विषय— लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 710 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि पथ निर्माण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (सा०सा० एवं आ०प्र०) की कंडिका 3.13 पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 710 को समिति द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

अतः पारित प्रारूप प्रतिवेदन की मूल प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समिति द्वारा पारित प्रतिवेदन की मूल प्रति सभा सचिवालय को वापस करने की कृपा की जाये। इस अवधि के अन्दर प्रारूप प्रतिवेदन वापस नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि इसमें निहित आँकड़े सही है।

अनु०—लो०ले०स० का प्रारूप प्रतिवेदन 710 की मूल प्रति ।

विश्वासभाजन,

असीम कुमार,

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

वि०स०मु० – 71(एल०ए०), डी०टी०पी० 2023-24 – 400

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024